छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्र. 2467/2015

मनोज कुमार शर्मा, पिता श्री देव कुमार शर्मा, उम्र लगभग 39 वर्ष, वर्तमान में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर(कलेक्टर दर) नगर पंचायत अड़भार, निवासी वार्ड नं. 12, नगर पंचायत अड़भार, थाना मालखरौदा, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.)

............**याचिकाकर्ता**

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छ.ग. राज्य द्वारा सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर(छ.ग.)
2. निदेशक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग बिलासपुर, नेहरू कॉम्प्लेक्स, बी.डी.ए. बिल्डिंग, पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय, व्यापार विहार, बिलासपुर (छ.ग.)
4. नगर पंचायत अड़भार द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अड़भार, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अड़भार, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
6. श्री सत्यनारायण देवांगन, पुत्र श्री चैतन्य सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, वर्तमान में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ, नगर पंचायत अड़भार, थाना एवं तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

............**उत्तरवादीगण**

....

याचिकाकर्ता द्वारा– श्री सी.जी.के. राव एवं श्री ए.डी. कुलदीप अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 1 व 3 द्वारा– श्री आर. एम. सोलापुरकर, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 4 व 5 द्वारा– श्री ए. एस. कछवाहा अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 6 द्वारा– श्री मनीष निगम अधिवक्ता।

....

माननीय श्री जस्टिस एन. के. चंद्रवंशी

आदेश

13–07–2023

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष के लिए तत्काल रिट याचिका प्रस्तुत की गई है:–

"10.1 माननीय न्यायालय से निवेदन है कि कृपया उत्तरवादियों के कार्यालय में रखे सहायक राजस्व निरीक्षक की भर्ती से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड को मंगाने की कृपा करें।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर उत्तरवादी क्र. 6 की नियुक्ति को अवैध और गैर–कानूनी घोषित करके उसे रद्द करने की कृपा करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया निर्णय घोषित करने की कृपा करे कि अभिलेखों के अनुसार याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्र. 6 से अधिक योग्य है।

10.4 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादीगण को निर्देश देने की कृपा करें कि वे याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.5 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया कोई अन्य राहत प्रदान करने की कृपा करे जिसे माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे।

10.6 यह कि, माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को याचिका की व्यय प्रदान करने की कृपा करे।"

2. मामले का तथ्यात्मक सार संक्षेप में यह है कि उत्तरवादी क्रमांक 4– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अड़भार, जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.) ने सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 12.09.2012 (अनुलग्नक पी–8) का विज्ञापन जारी किया था। योग्य होने के कारण, याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ उक्त पद पर नियुक्ति

के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। चयन समिति द्वारा जांच में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी उचित पाई गई और उसका नाम पात्रता सूची में रखा गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को मूल प्रमाण–पत्रों और दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए कॉल लेटर जारी किया गया ताकि उसका सत्यापन किया जा सके। उत्तरवादी अधिकारी ने 13.05.2015 को साक्षात्कार आयोजित किया था। मेधावी होने और आवश्यक अनुभव होने के कारण, उन्हें नियुक्त किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अंतिम चयन सूची प्रकाशित किए बिना, जो नियमों के अनुसार अनिवार्य है, उत्तरवादी क्रमांक 6 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, अड़भार, जिला जांजगीर–चांपा, उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा अवैध रूप से नियुक्ति दी गई। इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका WPS क्रमांक 3048/2013 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे दिनांक 30.09.2013 के आदेश (अनुलग्नक P/12) द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, सूचना के अधिकार के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता को पता चला कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की योग्यता के मूल्यांकन की पद्धति को गलत तरीके से लागू किया गया है, क्योंकि उसे 13.05.2013 को आयोजित अपनी बैठक में जिला चयन समिति द्वारा तय मानदंडों के अनुसार उचित अंक नहीं दिए गए हैं (याचिका का पृष्ठ 84)। यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चयन समिति (रिट याचिका के पृष्ठ 74 से 83) द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज और सारणीकरण चार्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्र. 6 की तुलना में अधिक शिक्षित और मेधावी है,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसके बावजूद उसे उत्तरवादी क्र. 6 की तुलना में कम अंक दिए गए हैं, और यदि अंकन जिला चयन समिति की 13.05.2013 की बैठक में तय मानदंडों के अनुसार किया गया होता, तो याचिकाकर्ता को अधिक अंक मिलते और उसका चयन हो जाता। इस प्रकार, चूंकि उत्तरवादी क्र.5 के द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को गलत/अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए, इस याचिका के प्रारंभिक पैराग्राफ में बताए गए राहत के लिए इसे चुनौती देने वाली यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

3.1 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि जिला चयन समिति द्वारा दिनांक 13.05.2013 को की गई बैठक में निर्धारित मापदंड के अनुसार, मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिए अंकों के प्रतिशत के आधार पर सात अंक तक दिए जाने हैं, उच्च शिक्षा यानी स्नातक के लिए डिवीजन के आधार पर तीन अंक तक दिए जाने हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा के लिए उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार पांच अंक तक दिए जाने हैं और साक्षात्कार के लिए 10 अंक तक दिए जाने हैं, जैसा कि उपरोक्त मापदंड में उल्लेख किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चयन समिति द्वारा तैयार किए गए सारणी चार्ट के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 6 – सत्यनारायण देवांगन को केवल सात अंक दिए गए हैं। जिसका नाम सारणी चार्ट के क्रमांक 29 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर पाया गया है और उच्च शिक्षा और कंप्यूटर अनुप्रयोग के संबंध में उसे कोई अंक नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई योग्यता/डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, इसके बाद, साक्षात्कार में उसे औसतन 7.33 अंक दिए गए हैं,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस प्रकार, कुल 14.33 अंक उत्तरवादी क्र.6 को दिए गए थे। जबकि याचिकाकर्ता, जिसका नाम सारणी चार्ट के क्रमांक 69 में पाया गया है, को मिडिल स्कूल प्रमाण पत्र के लिए पांच अंक दिए गए हैं, उसकी उच्च शिक्षा (स्नातक) को केवल एक अंक दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता की स्नातक की अंकसूची(पृष्ठ 35) से पता चलता है कि उसने बीएससी तृतीय वर्ष द्वितीय श्रेणी (600 में से 299 अंक) में उत्तीर्ण किया है, सारणी चार्ट से ही पता चलता है कि स्नातक में उसका प्रतिशत 46.89% है अत: जिला चयन समिति द्वारा दिनांक 13.05.2013 को आयोजित बैठक में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता को स्नातक में दो अंक दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उसने द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण किया है, इस प्रकार उसे एक अंक कम दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3.2 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि सारणी चार्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को उसकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कुल 11 अंक दिए गए हैं और साक्षात्कार में उसे औसतन 2.67 अंक दिए गए हैं, इस प्रकार, उन्होंने कुल 13.67 अंक दिए हैं। इसलिए यदि एक अंक (जो कि जिला चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया है क्योंकि उसने द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण किया है) जोड़ा जाता है, तो उसके कुल अंक 14.67 अंक हो जाएंगे, जो कि उत्तरवादी क्र. 6 सत्यनारायण देवांगन के कुल अंकों यानी 14.33 से अधिक है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा की गई घोर अवैधता और अनियमितता के कारण उक्त पद पर चयन से अवैध रूप से वंचित किया गया

है। अतः प्रार्थना है कि उसे सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर याचिका को स्वीकार किया जाए। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि उत्तरवादी क्र.6 को पहले ही नगर पंचायत अड़भार में उस पद पर नियुक्त किया जा चुका है और वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है और इस न्यायालय के द्वारा 20.04.2023 को डब्ल्यू.पी.(एस) क्रमांक 270/2014 (मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में किए गए प्रश्न के अनुसरण में, उत्तरवादी क्र.3 – संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, बिलासपुर ने सूचित किया है कि नगर पंचायत नया बाराद्वार और डभरा में सहायक राजस्व निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक के पद क्रमशः आरक्षण के अधीन रिक्त हैं, इस संबंध में संबंधित निगम से जानकारी मांगी जा सकती है और इस न्यायालय द्वारा 23.06.2023 को जानकारी मांगे जाने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, डभरा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नया बाराद्वार ने क्रमशः अनुलग्नक आर/डी–1 और अनुलग्नक आर/डी–2 दिनांक 03.07.2023 और 05.07.2023 के माध्यम से सूचित किया है, कवरिंग मेमो दिनांक 06.07.2023, कि दोनों नगर पंचायतों में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सहायक राजस्व निरीक्षक का एक पद और सफाई दरोगा का एक पद रिक्त है, इसलिए, याचिकाकर्ता को नगर पंचायत, नया बाराद्वार या नगर पंचायत डभरा में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उत्तर का संदर्भ देते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि शैक्षिक योग्यता के दस्तावेजों की जांच और साक्षात्कार के बाद चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अंक दिए गए थे और इस संबंध में सारणी चार्ट तैयार किया गया था, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 6 की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता कोई राहत पाने की पात्रता नहीं है।

5. उत्तरवादी क्र. 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता ने उनके जवाब का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि चयन समिति द्वारा तैयार किए गए सारणी चार्ट/अंकों के विवरण से पता चलता है कि उत्तरवादी क्र. 6 ने 14.33 अंक और आलोक राठौर ने 14 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि वर्तमान याचिकाकर्ता को केवल 13.67 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार, उत्तरवादी क्र.6 को अधिक मेधावी पाया गया और उसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उसे सहायक राजस्व निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, तर्क के समय उत्तरवादी क्र. 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह माना है कि रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता को उसकी उच्च शिक्षा (स्नातक), जो उसने द्वितीय श्रेणी में पास की थी, के एवज में एक अंक कम दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि सहायक राजस्व निरीक्षक का एक पद और अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सफाई दरोगा का एक पद क्रमशः नगर पंचायत डभरा और नगर पंचायत नया बाराद्वार में रिक्त है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. उत्तरवादी क्र. 6 के वकील ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन के अनुसार, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 01.01.2013 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि यानी 14.09.1975 के अनुसार, 01.01.2013 को उसकी आयु 37 वर्ष, 3 महीने और 17 दिन थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन – अनुलग्नक पी–8 [कॉलम 4] के अनुसार, आरक्षित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। यह विज्ञापन गैर–आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को दी जाने वाली आयु के छूट के बारे में नहीं बताता है और चूंकि याचिकाकर्ता गैर–आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, इसलिए वह किसी भी आयु छूट पाने का हकदार नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 2007 से 2010 तक उत्तरवादी क्र. 4 और 5 की स्थापना में एक संविदा कर्मचारी के रूप में ही काम किया था और विज्ञापन जारी होने की तिथि तक, याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी के रूप में काम नहीं कर रहा था, इसलिए, वह छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ज्ञापन संख्या एफ 3–2/2002/1–3, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार सरकार द्वारा दी जाने वाली आयु छूट पाने का हकदार नहीं है [ज्ञापन (अनुलग्नक आर–4/1), जिसे उत्तरवादी क्र. 4 और 5 द्वारा डब्ल्यूपीएस संख्या 270/2014 में दायर किया गया है)। अंत में यह दलील दी गई कि चयन प्रक्रिया के अनुसरण में उत्तरवादी क्र. 6 को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और वह लंबे समय से उक्त पद पर काम कर रहा है और 10 साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए उत्तरवादी क्र. 6

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की नियुक्ति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्तरवादी क्र. 6 को सेवा में बने रहने की अनुमति देने पर भी याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए वह **राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग व अन्य** मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य संबंधित मामलों का अवलंबन ले रहे है।

7. जवाब में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नगर पालिका परिषद अड़भार, जिला जांजगीर–चांपा की चयन समिति ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज नहीं की है कि वह अपेक्षित आयु का नहीं था, बल्कि उसकी उम्मीदवारी इसलिए अस्वीकार की गई है, क्योंकि उसने उत्तरवादी क्र. 6 की तुलना में कथित रूप से कम अंक प्राप्त किए हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पद के लिए आवेदन करते समय याचिकाकर्ता की आयु पर रोक लगाने का आधार उत्तरवादी क्र. 1 से 5 ने अपने उत्तर में भी नहीं उठाया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर दस्तावेज के अनुसार, जिसे उसने नगर पालिका परिषद अड़भार से सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त किया है, यह दर्शाता है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अड़भार द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 12.07.2007 के द्वारा उसे कम्प्यूटर ऑपरेटर और अन्य लिपिकीय कार्य के लिए कलेक्टर दर यानी रु. 2349/– प्रति माह पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि अध्यक्षीय परिषद की दिनांक 12.07.2007 की बैठक में पारित प्रस्ताव से भी होती है, जिसमें कहा गया है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता को कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य लिपिकीय कार्यों के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है, इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा कवरिंग मेमो के साथ दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता विज्ञापन दिनांक 12.09.2012 (अनुलग्नक पी–8) के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। इसलिए, वह उपर्युक्त W.P.(S) संख्या 270/2014 में उत्तरवादी क्र. 4 और 5 द्वारा दायर अनुलग्नक R–4/1 के अनुसार आयु में छूट पाने का हकदार है। इसलिए, उत्तरवादी क्र. 6 के अधिवक्ता द्वारा 01.01.2013 को याचिकाकर्ता की अधिक आयु के संबंध में उठाई गई आपत्ति निराधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. सबसे पहले, यह उल्लेख करना उचित है कि रिट याचिका (एस) क्रमांक 270/2014 में, उत्तरवादी क्र. 4 और 5 ने दस्तावेज दाखिल किया है, अर्थात ज्ञापन क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 30.01.2012, जो सामान्य प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरी में संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को उस अवधि तक आयु में छूट दी जाएगी, जिसके लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन यह

छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि इस मामले में भी दाखिल की जाए।

10. याचिकाकर्ता की जन्म तिथि तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति से यह स्पष्ट है कि 1.1.2013 को याचिकाकर्ता की आयु 37 वर्ष, 3 माह तथा 17 दिन थी तथा उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा जारी दिनांक 12.7.2007 का दस्तावेज, नगर पंचायत अड़भार की परिषद की दिनांक 12.07.2007 को पारित प्रस्ताव, जिसे बाद में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.6.2023 के कवरिंग ज्ञापन के माध्यम से दायर दिनांक 10.5.2008, 10.6.2009 तथा 24.5.2010 की बैठक में बढ़ा दिया गया था, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता नगर पंचायत अड़भार में कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा अन्य लिपिकीय कार्यों के लिए संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था, इसलिए वह राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.01.2012 के उपरोक्त ज्ञापन के आधार पर आयु में छूट पाने का हकदार है। अतः उत्तरवादी क्र.6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि याचिकाकर्ता की आयु सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, सही नहीं पाया गया।

11. निस्संदेह एवं निर्विवाद रूप से, दिनांक 13.5.2013 को आयोजित जिला चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर चयन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हेतु अभ्यर्थियों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, जो नीचे पुन: प्रस्तुत है:–

जि़ला चयन समिति की बैठक दिनांक 13–05–2013

नगर पंचायत अड़भार, जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा(वेतनमान एवं भत्ता) नियम 1967 के अनुसूची "तीन" अनुसार सहायक राजस्व निरीक्षक के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता "पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र" उल्लेखित है। संचालनालय, नगर प्रशासन एवं विकास, क्रमांक–एक/स्था./विविध/1/87/3477, दिनांक 13–03–1987 के कंडिका 08 में उल्लेख अनुसार संचालनालय के पत्र क्रमांक–एक /स्था./विविध/1/81/सा.प्र./2{अ} /10240, दिनांक 24–08–1981 के अनुसार ही रहेगी का उल्लेख है। अनुभव के अंकों के स्थान पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम(अधिकारी/कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2007 के अनुसूची "दो" में सहायक राजस्व निरीक्षक के सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन के योग्यता को शामिल किया जाकर सहायक राजस्व निरीक्षक के पद को सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्ति करने बावत दिये जाने वाले अंकों का निर्धारण जिला चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार किया गया।(कुल 25 अंक)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. न्य्ूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण – 7 अंक

अ–	75% या अधिक	–	7 अंक
ब–	60% से अधिक 75% से कम	–	6 अंक
स–	50% से अधिक 60% से कम	–	5 अंक
द–	50% से कम	–	4 अंक

2. उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक – 3 अंक

अ–	प्रथम श्रेणी पर	–	3 अंक
ब–	द्वितीय श्रेणी पर	–	2 अंक
स–	तृतीय श्रेणी पर	–	1 अंक

3. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण का अंक – 3 अंक

4. साक्षात्कार पर – 10 अंक

अध्यक्ष/सचिव एवं वरिष्ठ सदस्य को 10–10 अंक, यदि एक से अधिक व्यक्ति साक्षात्कार ले रहे हो, तो उनका औसत निकाला जाकर शैक्षणिक योग्यता का अंक/कौशल परीक्षण में प्राप्त अंकों को जोड़कर अंतिम योग निकाला जावे।

इस प्रकार कुल चयन प्रक्रिया में 25 अंक निर्धारित किये जाते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सुभाष दीक्षित)	(राजेश त्रिवेदी)	(पी.बी.काशी)
वरिष्ठ सदस्य	सचिव	अध्यक्ष
जिला चयन समिति	जिला चयन समिति	जिला चयन समिति

12. जिला चयन समिति द्वारा तैयार किए गए सारणी चार्ट/अंक विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र. 6 को निम्नलिखित तरीके से अंक दिए गए हैं:–

"नगर पंचायत अड़भार, जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.) में सहायक राजस्व निरीक्षक(अनारक्षित) के रिक्त एक पद की पूर्ति हेतु साक्षात्कार में दिए गए अंकों का विवरण पत्रक

क्र.	आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता	जाति	जन्म तिथि	रोजगार पंजी क्रमांक /दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक	उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक	कम्प्यूटर एप्लीकेशन का अंक	योग (10 + 11 + 12)	साक्षात्कार में दिये गये अंक			साक्षात्कार का योग (14 + 15+ 16)	औसत अंक	योग (13+ 1+ 8)
													अध्यक्ष	सचिव	वरिष्ठ			

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

															सदस्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29.	सत्यनारायण देवांगन/चैतन्य सिंह, अड़भार जिला जांजगीर चांपा	अपिवर्ग	01.01.1982	जांजगीर 18762/10 24.12.2010	आठवी दसवी बारहवी	600 500 450	468 293 288	78.00 58.60 64.00	7	0	0	7	6	8	8	22	7.33	14.33
69.	मनोज कुमार शर्मा/देवकुमार, अड़भार जिला जांजगीर चांपा	सामान्य	14.09.1975	जांजगीर चांपा 5375/10 02.06.2011	आठवी दसवी बारहवी स्नातक स्नातकोत्तर	600 500 800 180	325 217 465 844	54.17 43.40 58.13 46.89 48.38	5	1	5	11	3	3	2	8	2.67	13.67

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

					Msc (IT) टाईपिंग	0 800 700	387 456	65.14										

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता ने बीएससी पार्ट ।।। (पेज 35) की अपनी मार्कशीट दाखिल की है, जिससे दर्शित होता है कि उसने बीएससी (स्नातक) द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। सारणी चार्ट में भी स्नातक में उसका प्रतिशत 46.89 यानी द्वितीय श्रेणी दर्शाया गया है। चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होने के लिए दो अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सारणी चार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा (स्नातक) के लिए याचिकाकर्ता ने केवल 'एक अंक' दिया है, जबकि उसे 'दो अंक' दिए जाने चाहिए थे।

14. सारणीबद्ध चार्ट के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 6 को कुल 14.33 अंक (उसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए 7 अंक तथा साक्षात्कार में औसत 7.33 अंक) दिए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता को उसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए 11 अंक दिए गए हैं तथा साक्षात्कार में औसत 2.67 अंक दिए गए हैं, इस प्रकार याचिकाकर्ता को कुल 13.67 अंक दिए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता को द्वितीय श्रेणी में स्नातक

उत्तीर्ण होने के लिए 2 अंक दिए जाते हैं (इसके बजाय उसे केवल 1 अंक गलत तरीके से दिया गया है), तो उसके कुल अंक 14.67 अंक हो जाएंगे, जो उत्तरवादी क्र. 6 को दिए गए कुल अंकों यानी 14.33 से अधिक है।

15. इस प्रकार, जिला चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता को कम अंक देने में स्पष्ट त्रुटि की गयी है, जो कि अपने आप में अवैध है। उत्तरवादियों/चयन समिति के अधिकारियों द्वारा की गई ऐसी अवैधता के कारण, याचिकाकर्ता को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनित होने के अपने अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया गया है, जबकि वह उत्तरवादी क्र. 6 के स्थान पर चयनित होने का हकदार था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस समय उत्तरवादी क्र. 6 का चयन रद्द कर दिया जाना चाहिए और वर्तमान परिदृश्य में याचिकाकर्ता को क्या राहत दी जा सकती है?

17. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य तथा अन्य संबंधित मामलों (सुप्रा)** में उन व्यक्तियों को राहत प्रदान की है, जिनका चयन गलत तरीके से आरक्षण नीति लागू करके किया गया है। उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:–

"11. इसी तरह, हम पाते हैं कि ओबीसी के लिए 24 पदों के संबंध में, आरपीएससी द्वारा ओबीसी उम्मीदवारों में से मेरिट के अनुसार 19 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिनमें तीन महिला उम्मीदवार शामिल थीं। इसके बाद, केवल दो को जोड़ने के बजाय 'ओबीसी-महिला' श्रेणी के तहत अन्य पांच महिलाओं का चयन किया गया, जो कि एक चूक थी। इसी प्रकार चयन सूची में पाए गए 24 ओबीसी उम्मीदवारों में से कुल 8 महिला उम्मीदवार थीं। उचित तरीका यह था कि 24 ओबीसी उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार सूचीबद्ध किया जाए और फिर उनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाया जाए, और केवल महिलाओं के लिए पांच का कोटा पूरा करने के लिए कमी को पूरा किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. अपीलकर्ताओं की यह शिकायत उचित है कि आरपीएससी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया नियम 9(3) में निहित आरक्षण नीति के विपरीत थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरे चयन को रद्द कर दिया जाना चाहिए और क्या सभी अपीलकर्ताओं को राहत दी जानी चाहिए। चयन प्रक्रिया पूरी होने पर, वर्ष 2002 में 97 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई और वे पांच साल से अधिक समय से न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। वर्ष 2005 में भी बाद में चयन और नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा सभी चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यहां तक कि मूल दस रिट याचिकाकर्ताओं में से केवल

सात ही हमारे समक्ष हैं। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम 30.12.2001 की चयन सूची को बाधित करने या इसके अनुसरण में पहले से की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। हम केवल इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे समक्ष अपीलकर्ता राहत के हकदार हैं या नहीं। हम पाते हैं कि यदि क्षैतिज आरक्षण को उचित रूप से लागू करके चयन सूची तैयार की गई होती, तो भी इस अपील में केवल अपीलकर्ता (राजेश कुमार दरिया) और संबंधित अपील में अपीलकर्ता संख्या 3 और 6 (मोहन लाल सोनी और सुनील कुमार गुप्ता) का ही चयन होता। अन्य अपीलकर्ता चयन के योग्य नहीं थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा उपलब्ध रिक्तियों को देखते हुए, हम यह उचित और न्यायसंगत समझते हैं कि पहले से किए गए चयनों और नियुक्तियों में कोई परिवर्तन किए बिना, पूर्ण न्याय करने के लिए, निम्नलिखित तरीके से उन तीन उम्मीदवारों को समायोजित किया जाए:

13.1 सुनील कुमार गुप्ता (सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 184 अंक) और मोहन लाल सोनी (ओबीसी उम्मीदवार 169 अंक), जिन्हें 2001 की चयन सूची में चुना जाना चाहिए था, और जिन्हें महिला उम्मीदवारों के अधिक चयन के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, उन्हें आरपीएससी द्वारा चयनित माना जाएगा। परिणामस्वरूप, उन्हें आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। हालाँकि, सभी उद्देश्यों

के लिए उनकी वरिष्ठता केवल वास्तविक नियुक्ति की तारीख से ही गिनी जाएगी।

13.2 राजेश कुमार दरिया (171 अंक वाले ओबीसी अभ्यर्थी) का भी चयन नहीं हुआ, क्योंकि अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। उन्हें 2001 के चयन में चयनित कर नियुक्त किया जाना चाहिए था। हमें बताया गया है कि राजेश कुमार दरिया का चयन 2005 की परीक्षा में हुआ था और उन्हें 12.2.2005 को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि उन्हें 2001 की चयन सूची में उनका स्थान दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें 2001 की चयन सूची में अंतिम अभ्यर्थी के रूप में रखा जाता है, तो न्याय के हित में होगा। चूंकि उन्होंने 12.2.2005 से काम किया है, इसलिए हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की पूर्वव्यापी वरिष्ठता उन्हें किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं बनाएगी, बल्कि केवल पदोन्नति और पेंशन संबंधी लाभों के लिए ही गिनी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **पवन कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ सरकार एवं अन्य 2** के मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने उन व्यक्तियों को भी राहत प्रदान की है, जिनका चयन उत्तरवादी क्र.2 द्वारा क्षैतिज एवं कम्पार्टमेंटवार आरक्षण की गलत

व्याख्या के आधार पर किया गया है। उपरोक्त मामले में, विद्वान खंडपीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

> "14. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्ष 2004 में हुई तथा वे सात वर्षों से अधिक समय से न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तत्पश्चात वर्ष 2006, 2008 एवं 2011 में भी चयन एवं नियुक्तियां हुई हैं। उत्तरवादी क्र. 4 एवं 5 पिछले सात वर्षों से अधिक समय से न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मत है कि उत्तरवादी क्र. 4 एवं 5 के चयन एवं नियुक्ति को इस समय उनकी किसी गलती के बिना निरस्त करना उचित नहीं होगा। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता, जो चयनित होने के हकदार थे तथा उन्हें चयन सूची में कु. श्रद्धा शुक्ला एवं उपरोक्त उत्तरवादी क्र. 4 एवं 5 से ठीक नीचे रखा जाना चाहिए था, को उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा क्षैतिज एवं कम्पार्टमेंटवार आरक्षण की गलत व्याख्या करके सिविल जज वर्ग II के पद पर नियुक्ति के उनके अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया गया है।
>
> 15. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, हम उत्तरवादी क्र.1 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पुलिस सत्यापन आदि जैसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश देना उचित समझते हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।”

19. इस मामले में भी, याचिकाकर्ता को द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण होने के बावजूद '2 अंक' न देकर सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनित होने के उसके अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया गया है और उसके स्थान पर उत्तरवादी क्र. 6 को गलत तरीके से चयनित किया गया है और वह (उत्तरवादी क्र.6) नगर पंचायत अड़भार में उक्त पद पर 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है। उक्त पद पर उत्तरवादी क्र. 6 की लंबी सेवा को देखते हुए, इस स्तर पर उत्तरवादी क्र.6 के चयन और नियुक्ति को रद्द करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी गलत नियुक्ति के लिए उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चयनित होने के हकदार होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर चयनित होने और नियुक्त होने के उसके अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया गया।

20. परिणामस्वरूप, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय उत्तरवादी अधिकारियों/सक्षम अधिकारियों को नगर पंचायत, डभरा या नगर पंचायत, नया बाराद्वार में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता को आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देता है, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के पद रिक्त बताए गए हैं, जैसा कि राज्य के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है। हालांकि, सभी उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर वास्तविक नियुक्ति की तारीख से ही गिनी जाएगी।

21. उपरोक्त निष्कर्ष और निर्देश के साथ, उक्त रिट याचिका को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(एन. के. चंद्रवंशी)
जज

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।